शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया

सिटीजन चार्टर

सर्विस नेम	सिटीजन चार्टर
स्वीकृत	डॉ. राजेश गौर अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र.
समीक्षा	अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया
अपडेट की जिम्मेदारी	डिप्टी/सहायक अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया

सर्वे सामान्य नागरिक (रोगी) को सूचित किया जाता है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के अधीन स्थापित संपूर्ण चिकित्सा परिसर के विभागों के लिये एक सिटीजन चार्टर स्थापित किया गया है। इसके अनुसार चिकित्सालय में आने वाला प्रत्येक रोगी चिकित्सा महाविद्यालय के लिये एक विशिष्ट व्यक्ति है एवं इन रोगियों का उपचार करना चिकित्सालय स्टाफ मेडिकल, पैरामेडीकल एवं अन्य का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है।

सामान्य जानकारी :

अधिष्ठाता दूरभाष क्रमांकः– 07522–29083 आपातकालीन (चिकित्सालय) –07522–29084
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक :– 07522–235108

आकास्मिक एवं आपात्कालीन सेवायें :

समय 24 घण्टे , 365 दिन

- आकास्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं रेजीडेंट 24 घण्टे हर दिन उपलब्ध रहेंगे।
- विषय विशेषज्ञ चिकित्सक ऑन कॉल डयूटी 24 घण्टे उपलब्ध रहेंगे।

ओ.पी.डी. सेवायें

ओ.पी.डी. प्रतिदिन सुबह समय 8:30 से 01 बजे तक रहेगी।
ओ.पी.डी. में रजिस्ट्रेशन का समय 12 बजे तक रहेगा।
बाहर के मरीजो के लिये चिकित्सालय में उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है :
ओ.पी.डी. में विषय विशेषज्ञ परामर्श के लिये उपलब्ध रहेंगा।
रविवार एवं अवकाश के दिन ओ.पी.डी. का समय सुबह 10 से 12 बजे तक रहेगा।

प्रयोगशाला सेवायें :

प्रयोगशाला सेवायें निम्नानुसार विभाग में दिये जाते हैः–

- बायोकेमिस्ट्री विभाग
- माइक्रोबायोलॉजी विभाग
- हिमेटोलॉजी सेक्शन
- साइटोलॉजी सेक्शन
- हिस्टोपैथोलॉजी

इमरजेन्सी सेवायें :

क्लीनिकल पैथोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री से संबंधित आवश्यक जाँचे 24 घण्टे उपलब्ध कराई जाएंगी।

रेडियोडायग्नोस्टिक सेवायें

X-ray, CT, MRI, USG सेवायें उपलब्ध है

ब्लड बैंक :–

ब्लड बैंक की सुविधायें चिकित्सालय परिसर में 24X7 घण्टे उपलब्ध रहेंगी।

इन्डोर सेवायें

1. चिकित्सालय के नियमानुसार आवश्यकता के आधार पर मरीजों को इलाज के लिये भर्ती किया जावेगा।
2. सभी भर्ती मरीज़ों को इलाज के दौरान भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
3. मरीजों से मिलने के लिये समय शाम 4 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।

4. शासन की विभिन्न निर्धारित निःशुल्क योजना के अनुसार संबंधित मरीजो का इलाज निःशुल्क रहेगा।
5. स्टाफ नर्स 24 घण्टे वार्ड में उपलब्ध रहेंगी।

<u>जन सामान्य रोगी के लिये निम्न समचनाऐं प्रेषित है</u>

1. चिकित्सालय परिसर में आने वाले रोगी, रोग से संबंधित पंजीयन/जाँच शुल्क आदि चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा स्थापित समस्त वैध खिड़कियाँ (काउन्टर) पर जमा करें एवं खिड़की से शुल्क प्राप्ति रसीद प्राप्त करना न भूले।
2. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा स्थापित वैध खिड़की (काउन्टर) के अलावा किसी अन्य स्थान अथवा व्यक्ति (मेडीकल, पैरामेडीकल एवं अन्य) को किसी भी प्रकार की राशि, सुविधा शुल्क अथवा टी.आई.पी. न देवे।
3. रोगी चिकित्सा महाविद्यालय, में स्थापित रिसेप्शन काउन्टर अथवा पूछताछ खिड़की से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें एवं परामर्शदाता चिकित्सक एवं जाँच कक्ष क्रमांक आदि की पूछताछ कर कार्य करें जिससे आपका चिकित्सालय परिसर में रोगी हित में सुविधा होगी।
4. यद्यपि रोगी संपूर्ण सुविधा एवं उपचार का ध्यान चिकित्सालय द्वारा रखा जाता है परन्तु असुविध की स्थिति में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक अथवा अधिष्ठाता कार्यालय को लिखित रूप से अवगत करावें जिससे असुविधा का निराकरण हो सके।
5. सामान्य नागरिक से नम्र निवेदन है कि चिकित्सालय परिसर के टायलेट्स एवं पेयजल व्यवस्था आदि रोगियों की सुविधा हेतु उपलब्ध है अतः इसकी साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं संक्रामक बीमारी की रोकथाम करने में मदद् करें।
6. आपकी सुविधा हेतु चिकित्सालय परिसर ,बैंक, एटीएम काउन्टर, मिल्क पार्लर, पुलिस सेवा डाकघर, दवा की दुकान आदि सुविधाऍ उपलब्ध है उनका उपयोग करें।
7. मध्यप्रदेश शासन ने समस्त शासकीय संस्थाओं में संपूर्ण पारदर्शिता उत्पन्न कर भ्रष्टाचार की संपूर्ण रोकथाम हेतु और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावी रूप से लागू किया है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी सूचना की आवश्यकता है तो सक्षम लोक सूचना अधिकारी को अवगत कर 10 रूपये प्रोसेस शुल्क के साथ लिखित अवेदन करें।
8. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले रोगी अपना बी.पी.एल कार्ड प्रस्तुत कर शासन द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं का उपयोग कर सकते है।
9. चिकित्सकों के कार्यदिवस एवं समय सूचना पटल पर कक्ष के बाहर उपलब्ध है।
10. समस्त जॉच शुल्क की जानकारी संबंधित प्रयोगशाला के बाहर सूचना पटल पर उपलब्ध है तदानुसार ही शुल्क जमा करें।
11. शासन द्वारा रोगियों के लिये विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे वाले रोगी के लिये दवाओं की व्यवस्था की गई है। जब तक आवश्यक न हो दवायें बाहर से न खरीदे, दवा भण्डार में दवा उपलब्ध न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा बाहर से दवा खरीदने की अनुमति दी जावेगी दवाई खरीदी करते समय केश मेमो लाना न भूले जिससे दवा की शुद्वता निश्चित हो।

12. चिकित्सालय परिसर के बाहर की गई जाँच के लिये चिकित्सालय जबावदेह नहीं होगा। अतः रोगी विशेष सावधानी बरते।
13. चिकित्सालय में भर्ती मरीज के साथ आने वाले अटेण्डर अपना प्रवेश पत्र बनवायें एवं रोगियों से मिलने के समय में ही रोगियों से मिले जब तक कि रोगी कि स्थिति गंभीर न हो।
14. शिकायत पुस्तिका स्थानों पर जैसे केजुएल्टी एवं अन्य जगह उपलब्ध है। शिकायत पुस्तिका में अपना नाम पता फोन नं. आदि लिखकर शिकायत दर्ज करावे। बेनामी शिकायत पत्र पर विचार नहीं होगा।
15. चिकित्सालय परिसर में धूम्रपान, मदिरापान एवं आपत्तिजनक कार्य प्रतिबंधित है
16. चिकित्सालय परिसर शांत क्षेत्र है, अनावश्यक गाड़ियों का हार्न न बजावें।
17. चिकित्सालय में भर्ती होने वाले मरीजों को शासन द्वारा निःशुल्क भोजन अथवा दूध प्रदान किया जायेंगे।
18. दीन दयाल बी.पी.एल., श्रमिक कार्ड, गरीबी रेखा के कार्ड धारको को भर्ती मरीजों को शासन द्वारा 01 वर्ष में रूपयें 30,000 तीस हजार तक की दवायें एवं जाँच निःशुल्क की जाती है।
19. जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाली प्रसूताओं को शासन द्वारा निर्धारित 1,000 / 1400 राशि प्रदान की जाती है।
20. चिकित्सालय परिसर में उपलब्ध शुलभ शौचालय स्थापित किये गये हैं जिसमें निःशुल्क स्नान एवं प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
21. चिकित्सालय में आने वाले पेन्सनरों को 100/– प्रतिदिन दिन की औषधी निःशुल्क प्रदान की जाती है।
22. मरीजें के परिजनों के लिये अस्पताल परिसर में आश्रय भवन उपलब्ध रहेगा जहाँ मात्र 10 रूपये प्रतिदिन में रहा जा सकता है।
23. व्हील चेयर एवं स्ट्रेचर की सुविधा चलने में असमर्थ मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी।
24. एम्बूलेंस की सुविधा चिकित्सालय में उपलब्ध रहेंगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
जिला चिकित्सालय
दतिया

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया म.प्र.